आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

3

07.12.2017

उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा।

R.M.A. Case No. - 22/2016-17

जगदीश मंडल बनाम बबलु हेम्ब्रम

आदेश

प्रस्तुत वाद R.M.A. - 22/2016-17 जगदीश मंडल पिता– स्व0 भोलानाथ मंडल ग्राम–गेड़िया, टोला– उपरनयन, थाना–बिन्दापाथर अनुमंडल एवं जिला– जामताड़ा के द्वारा बबलु हेम्ब्रम पिता–स्व0 जीवन हेम्ब्रम ग्राम–कामराजपहाड़ी थाना–बिन्दापाथर, अनुमंडल एवं जिला– जामताड़ा के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के वाद R.E.27/2012–13 में दिनांक 03.09.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया।

अपीलकर्ता के अपील आवेदन, उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश का अवलोकन किया। अभिलेख में उपस्थापित कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा– भोगीकाटा खाता सं0–81 दाग सं0–2356 कुल रकवा– 0.95 एकड़ गत सेर्वे खतियान में जीवन हेम्ब्रम के नाम से दर्ज है, जिनका वंशज बबलु हेम्ब्रम है। निम्न न्यायालय में बबलु हेम्ब्रम का यह कहना है कि उन्होंने सुदूर देहाती गाँव में पक्का का घर बना कर जगदीश मंडल को भाड़े पर दिया है, हास्यास्पद लगता है। क्योंकि खुद बबलु हेम्ब्रम की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है की वे खुद पक्के का घर बना कर भाड़े में दें। उपलब्ध कागजों को देखने से लगता है की आदिवासी रैयतों की जमीन हड़पने की यह एक असफल प्रयास है। तथा अवैध ढंग से भूमि का हस्तांतरण कराये जाने प्रयास है।

ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक–03.09.16 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतित नही होती है। यह वाद खारिज किया जाता है।

7/12/17

उपायुक्त

जामताड़ा।

DB/183

2.2.18